


HIGH COURT OF MADHYA PRADESH JABALPUR

Endt.No..A/1647/ Jabalpur, dated .25.05.2016
III-6-4/03 Pt.-VI

The copy of Notification no. 17(E)83/03/21-B(1)/1653/016 dated 16-05-2016 issued /s 1563(2) of Electricity Act, 2003 received from Department of Law & Legislative Affairs, Bhopal, is forwarded to:-

1. Registrar cum PPS to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M.P. Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice ,
2. The P.S. of the Registrar General, High Court of M.P. Jabalpur for kind information of the Registrar General,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information.
4. The District & Sessions Judges, Raisen & Sagar for information and necessary action with request that the same be served on the concerned officers.
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P. Jabalpur for information and necessary action.
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.


(VIVEK SAXENA)
OSD (DE)

25.5.2016

1062



मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 16 मई, 2016

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/1653/2016, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई) 83/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 70 एवं 81 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् -

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
70.	रायसेन	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन	श्री विजय चंद्रा, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन.
81.	सागर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खुरई	श्री अनिल कुमार अग्रवाल, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खुरई."

NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(one)/1653/2016,-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010, namely :-

19 MAY 2016

REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR
O.S.D.(C)

//2//

AMENDMENTS

In the said Notification, in the table for serial numbers 70 and 81 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
70.	Raisen	III rd Additional Sessions Judge, Raisen.	Shri Vijay Chandra, III rd Additional Sessions Judge, Raisen.
81.	Sagar	III rd Additional Sessions Judge, Khurai	Shri Anil Kumar Agrawal, III rd Additional Sessions Judge, Khurai."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्दर सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 17(ई)83/03/21-(एक)/1653/2016, भोपाल, दिनांक 16.मई, 2016

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. C/1456/III-6-4/03-IX, दिनांक 21.04.2016 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, आय. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिशूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर.के.वर्मा) 16/5/16

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग